Under the circumstances, it would be a grave injustice to the people of that State for the Railway Ministry to seek, through some means, to get over the decision of the previous Government to set up this project at Kanchikkott.

May I request the hon. Minister of Railways to give a categorical assurance to this House that no change with regard to the site of project is contemplated and also to have the work taken up at the earliest.

(ii) REPORTED STOPPAGE OF TEACHING OF HINDI IN TAMIL NADU

श्री नवाब सिंह चौहान (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

तामिलनाडु की राज्य सरकार ने सहसा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा स्कूलों में चलाई जा रही हिन्दी की पढ़ाई को बन्द कर दिया है। इससे साफ हो जाता है कि वह केवल हिन्दी के थोपे जाने के ही खिलाफ नहीं है, वरन्, उन लोगों को भी हिन्दी पढ़ने से रोकने पर तुली हुई है, जो स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। यह संविधान की भावना के नितांत विपरीत और भेद-भावना पैदा करने वाली कार्यवाही है।

(iii) REPORTED ATROCITIES ON TELUGU PEOPLE IN KORAPUT DISTRICT, ORISSA.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Mr. Speaker, Sir I rise to mention under Rule 377 the matter relating to atrocities on Telegu people in Sonabeda, Koraput district, Orissa.

Some thousands of Telugu people area in Sonabeda in Koraput district in Orissa State. They are very peace loving people. The Oriyas in Sonebeda became envious of them and with animosity are perpetrating atrocities upon them.

The Oriyas have obstructed Telugu people in performing Sriramnaumi. They have obstructed in playing Telugu cinema pictures in theatres. They beat the Telugu people and many received injuries. Section 144 was imposed in the town and even now harassment is going on.

I resquest the Hon. Home Minister to take up this issue with the Orissa Government and see that the Telugu people are protected.

(iv) REPORTED NON-AVILABILITY OF RAILWAY WAGONS IN SAURASHTRA (GUJARAT) FOR TRANSPORTATION OF ESSENTIAL COMMODITIES.

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्याज, खाद्य तेल, अनाज, चौक पावडर, वनस्पति वगैरह जिन्सों को सौराष्ट्र से बाहर भेजने के लिए रेलवे के वैगन नहीं मिलते हैं। इन के लिए सौराष्ट्र के उपलेटा, धोराजी, भायावदर, जूनागढ़, शापुर-सोरठ, माणावदर, राणा बाव, पोरबन्दर, जाम जोधपुर, पानेली-मोटी, बांम जालिया, वेरावल, चोरवाड़, केशोद, बांटवा लालपुर, जामनगर वगैरह स्थानों के व्यापारियों, चैम्बर ग्राफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, ग्रायल इंडस्ट्रीज, प्याज परचेन्ट्स एसोसियेशन्स, चौक एसोसिएशन, तथा सहकारी संस्थाओं ने रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को और पश्चिम विभाग के बम्बई और भावनगर के रेल अधिकारियों को करीब 35 अभ्यावेदन पत्र, पत्र, तार और टेलीफोन भेज कर मांग की है।

कहीं कहीं एक और दो महीने से रेल वेगन नहीं मिलने से इन शहरों-नगरों का व्यापार उद्योग ठप्प हो गया है। मैं ने भी गत तीन महीनों में में कई दफा रेल मंत्री जी को, रेलवे बोर्ड को, बम्बई और भावनगर के पश्चिम विभाग के रेल के पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, तार दिए हैं, तो भी रेल वैगनों की पूरी तरह से नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती है।

उपरोक्त स्थानों के लिए करीब 2500 वैगनों की डिमांड्स अब पेंडिंग हैं। तो रेल मंत्री जी इन की तुरन्त जांच कर के नियमित रूप से वेगनों के भेजने का शीघ्र प्रबन्ध करें, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है।

(v) REPORTED SHORTAGE OF NEWSPRINT AND OTHER VARIETIES OF PAPER.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

विगत कई महीनों से देश में अखबारी कागज व अन्य प्रकार के कागज की भारी कमी अनुभव की जाती रही है किन्तु आज उस की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। देश के स्थित पेपर मिल्स द्वारा भी अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया जा रहा है। कच्चे माल की भारी उपलब्धि के बाद भी नयें यूनिट्स भी स्थापित नहीं हो पाये हैं।